विषय सूची

कंडिका		पृष्ठ संख्या
	प्रस्तावना	V
	कार्यकारी सारांश	1-10

अध्याय 1

(राज्य के सार्वजनिक उद्यमों का अवलोकन)

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के वित्तीय प्रदर्शन का सारांश		
1.1	परिचय	11
1.2	लेखापरीक्षा का अधिदेश	12
1.3	राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) में राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम (एसपीएसई) और उनका योगदान	13
1.4	एसपीएसई में निवेश और बजटीय सहायता	15
1.5	एसपीएसई से रिटर्न	16
1.6	ऋण सेवा	18
1.7	एसपीएसई का वित्तीय प्रदर्शन	20
1.8	घाटे में चल रही एस.पी.एस.ई.	24
1.9	सीएजी द्वारा राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के वैधानिक लेखा परीक्षकों की नियुक्ति	26
1.10	राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा लेखा प्रस्तुत करना	26
1.11	सीएजी की निगरानी - खातों की लेखापरीक्षा और पूरक लेखापरीक्षा	28
1.12	सीएजी की निगरानी भूमिका का परिणाम	29
1.13	कॉर्पोरेट शासन प्रणाली	30
1.14	आंतरिक लेखापरीक्षा ढांचा	32
1.15	कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर)	33
1.16	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर अनुवर्ती कार्रवाई	36
1.17	निष्कर्ष	37
1.18	अनुशंसाएं	38

अध्याय 2

भवन निर्माण विभाग		
झारखंड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड के कार्यप्रणाली पर निष्पादन लेखापरीक्षा		
2.1	परिचय	42

2.2	लेखापरीक्षा उद्देश्य	45
2.3	लेखापरीक्षा मानदंड	45
2.4	लेखापरीक्षा का क्षेत्र और कार्यप्रणाली	46
2.5	लेखापरीक्षा निष्कर्ष	47
2.5.1	वित्तीय प्रबंधन	47
2.5.2	योजना	49
2.5.3	मानव संसाधन प्रबंधन	62
2.5.4	परियोजनाओं का निष्पादन	66
2.5.5	व्यय प्रबंधन	76
2.5.6	गुणवत्ता प्रबंधन	100
2.5.7	आंतरिक नियंत्रण और निगरानी	103
2.6	निष्कर्ष	105

अध्याय 3

(अनुपालन लेखापरीक्षा)

खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले का विभाग		
3.1 झारखंड राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड की खरीद गतिविधि पर विषय विशेष अनुपालन लेखापरीक्षा		
3.1.1	परिचय	109
3.1.2	धान की अधिप्राप्ति	112
3.1.3	धान की मिलिंग	118
3.1.4	खाद्यान्न की अधिप्राप्ति	134
3.1.5	गोदाम प्रबंधन	141
3.1.6	वित्तीय प्रबंधन	149
3.1.7	अपर्याप्त मानव संसाधन प्रबंधन	159
3.2 अनुपालन लेखापरीक्षा कंडिकाएँ		
उर्जा विभाग		
झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड (जेबीवीएनएल)		
3.2.1	परिहार्य व्यय और आपूर्तिकर्ताओं को अनुचित लाभ	161
3.2.2	निष्क्रिय व्यय	162
झारखंड ऊर्जा उत्पादन निगम लिमिटेड (जेयूयूएनएल)		
3.2.3	परिहार्य उत्पादन हानि	164
	परिशिष्टियां	169-203

परिशिष्टों की सूची

परिशिष्ट संख्या	कंडिका संख्या	विवरण	पृष्ठ संख्या
1.1	1.3 एवं 1.9	सीएजी लेखापरीक्षा के दायरे में आने वाली सरकारी कंपनियों/सरकारी नियंत्रित अन्य कंपनियों की सूची, जिनके वर्ष 2020-21 से 2022-23 तक के खाते 31 दिसंबर 2023 तक प्राप्त हो चुके हैं	169
1.2	1.3	तीन वर्ष से अधिक समय से बकाया खातों/पहले खाते प्राप्त नहीं होने वाले कार्यशील एस.पी.एस.ई	170
1.3	1.7.3	राज्य सरकार के निवेश का शुद्ध वर्तमान मूल्य और कुल आय	171
1.4	1.14.2	आंतरिक लेखापरीक्षा पर कंपनी-वार रिपोर्ट	172
2.1	2.5.2.2	मॉडल अनुमानों के आधार पर किए गए कार्यों में लागत और समय की अधिकता	173
2.2	2.5.4.1	कार्यों के लिए बोलियां प्रस्तुत करने हेतु कम समय दिया गया	177
2.3	2.5.4.1	कंपनी द्वारा बोलीदाताओं की बोली क्षमता का गलत आकलन	180
2.4	2.5.4.1	ऐसे कार्य जिनके लिए उपकरणों और कार्यबलों की विशिष्ट सूची प्रस्तुत नहीं की गई	182
2.5	2.5.4.1	वे कार्य जिनके लिए समझौते के निष्पादन में विलंब हुई	183
2.6	2.5.5.1	मूल्य समायोजन का अतिरिक्त भुगतान	185
2.7	2.5.5.2	दिल्ली दर अनुसूची में श्रम घटक पर अतिरिक्त अनुमान	186
2.8	2.5.5.4	रुके हुए कार्यों पर निष्फल व्यय	187
2.9	2.5.5.8	संवेदकों को मोबिलाइजेशन अग्रिम दिया गया	188
2.10	2.5.5.8	मोबिलाइजेशन एडवांस की वसूली शुरू करने में विलंब	189

परिशिष्ट संख्या	कंडिका संख्या	विवरण	पृष्ठ संख्या
2.11	2.5.5.8	निर्धारित समापन तिथि के बाद मोबिलाइजेशन अग्रिम की वसूली	190
2.12ए	2.5.5.9	पूर्ण किए गए कार्यों में समय की अधिकता	191
2.12बी	2.5.5.9	प्रगति पर चल रहे कार्यों में समय की अधिकता	196
2.12सी	2.5.5.9	लागत में वृद्धि वाले कार्यों के मामले	198
2.13	2.5.5.10	विलंब से सौंपे गए/नहीं सौंपे गए कार्य	199
3.1	3.1.5.1	संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान खराब और मानव उपभोग के लिए अनुपयुक्त खाद्यान्न/लंबे समय तक अप्रयुक्त पड़े खाद्यान्न के मामले सामने आए।	202
3.2	3.2.1	बार-बार/अतिरिक्त क्रय आदेश (पीओ) जारी न करने के कारण होने वाला परिहार्य व्यय	203

प्रस्तावना

31 मार्च 2023 को समाप्त अवधि के लिए राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) की रिपोर्ट भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के तहत झारखंड के राज्यपाल को प्रस्तुत करने के लिए तैयार की गई है।

इस रिपोर्ट में झारखंड के राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणाम शामिल हैं। इस रिपोर्ट में उल्लिखित उदाहरण 2022-23 की अवधि के नमूना लेखापरीक्षा के दौरान ध्यान में आए और साथ ही वे उदाहरण भी शामिल हैं जो पिछले वर्षों में ध्यान में आए थे, लेकिन पिछली लेखापरीक्षा रिपोर्टों में शामिल नहीं किए जा सके थे। आवश्यकतानुसार, 2022-23 के बाद की अवधि से संबंधित उदाहरण भी शामिल किए गए हैं। यह लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप आयोजित की गई है।